



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 24/2026/D-110

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 323886 दिनांक 08/08/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	Himanshu Rawat S/o KALYAN SINGH	श्री कान्तिलाल जोशी पुत्र श्री मदन लाल जोशी	29	200.00 SQ. METER	JDA	PITAMBRA YOJANA Sector/Block- G	Name Transfer	जविप्रा की आवासीय योजना पीताम्बरा के भूखण्ड संख्या जी-29 क्षे. 200.00 वर्गमीटर की लीजडीड श्री कान्तिलाल जोशी पुत्र श्री मदन लाल जोशी को दिनांक 08.01.2016 को जारी कर दी गई। उक्त भूखण्ड का बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से श्री कान्तिलाल जोशी पुत्र श्री मदन लाल जोशी द्वारा श्री रवि सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह को दिनांक 28.10.2023 को कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से श्री रवि सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह द्वारा श्री हिमांशु रावत पुत्र श्री कल्याण सिंह को दिनांक 05.03.2024 को कर दिया गया। आवेदनकर्ता श्री हिमांशु रावत पुत्र श्री कल्याण सिंह द्वारा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है
---	--	--	----	---------------------	-----	--	------------------	--



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Himanshu Rawat S/o KALYAN SINGH को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।